

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रार्षिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206] नई दिल्ली, शुक्रवार, विनाश्वर 18, 1970/अग्रहायण 27, 1892

No. 206] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 1970/AGRAHAYANA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th December 1970

SUBJECT : *Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970-March, 1971 (Amendment No. 48).*

No. 131-ITC(PN)/70. —Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April 1970-March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70 dated 31-3-1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments
1	2	3
1 91-93	A. 152.1 Col. 4	After the existing entry (ah), the following may be inserted :— “(ai) Sodium Nitrite (5%)”.
2 93	A. 152.2 Col. 4	The existing entry at (a) may be substituted by the following :— “(a) CRCA Sheets/Strips in coils or straight lengths/deep drawing quality mild steel sheets/strips”.
3 93-94	A. 152.2 Col. 4	After the existing entry (v) the following may be inserted :— “(w) Sodium Nitrite (5%)”.
4 185	K. 2 Col. 2	The existing entry may be corrected to read as follows :— “Crewel Embroidery—(Woollen hand Embroidery on Cotton fabrics/Jute base).”.
5 185	K. 2 Col. 4	The existing entries may be corrected to read as follows :— “(a) Raw wool/waste wool/shoddy wool/woollen rags (10%)”. “(b) Coal tar dyes (<i>i.e.</i> acid dyes, direct dyes, mordant dyes, disperse dyes and reactive dyes—Permissible items as per Appendix 24 of Red Book, Vol. I, as amended from time to time) and special optical whitening agents used for polyester and polyacrylonitrile fibre (5%)”.
6 203	P. 1.3 Col. 4	The figure “40%” appearing in lines 3 and 5 in entry (b) may be corrected to read as “60%”.
7 204	P. 1.4 Col. 5	The figure “56%” appearing in line 4 of remark (2) may be amended to read as “60%”.
8 204	P. 1.5 Col. 4	The figure “50%” appearing in line 3 and the word and figure “of 50%” appearing in line 6 in entry (a) may be deleted.
9 205	P. 1.6 Col. 3	The figure “5%” may be amended to read as “10%”.
10 205	P. 1.7 Col. 4	The figure “75%” appearing in lines 3 and 6 in entry (a) may be amended to read as “80%”.
11 206	P. 1.8 Col. 3	The existing figure “9%” may be amended to read as “10%”.
12 206	P. 1.8 Col. 4	The figure “(75%)” and the word and figure “of 75%” in lines 3 and 6 of entry (a) may be deleted.

NOTE : The amendments referred to at S. Nos. 6 to 12 above would apply in respect of exports made from 1st October 1970.

1	2	3
13 218	W.1 Col.4	The existing entry may be corrected to read as under :— "Permissible item of dyes and chemicals. (See remarks)".
14 218	W.1 Col.5	The following remark may be inserted :— "Import of Hydrosulphite of Soda and its formulations may be allowed upto 25% of the face value of licence".
15 219-220	X.1.1 Col.4	After the existing entry (xi) the following may be inserted :— "(xii) Hydrosulphite of Soda and its formulations (25%)".

3. Consequent to the amendment referred to at S. No. 4 above, the entry "Crewel Embroidery (woollen hand embroidery on cotton fabrics)" appearing on page xciv of the index of the above Red Book may be amended to read as "Crewel Embroidery—(Woollen hand Embroidery on Cotton fabrics/jute base)".

4. The items "Record playing equipment" and "Waterproof Bitumen Board" are classifiable under "A. ENGINEERING GOODS" and "B. CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS" and fall under S.No. "A. 91.2" and "B.66.2" respectively. These may be inserted alphabetically at the appropriate places in the index under the said product groups.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1970

विषय : अप्रैल 1970-मार्च 1971 के लिए पंजीकृत नियतियों के लिए [आयात नीति (संशोधन संख्या 48)]

सं० 182-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 :—अप्रैल 1970-मार्च 1971 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक का बालुम-2 जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31-3-1970 के अन्तर्गत जारी किया गया था, उसमें पंजीकृत नियतियों के लिए निहित आयात-नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार उपयुक्त स्थलों में किए जाएं :—

रीड बुक (बालुम-2)

की पृष्ठ संख्या संदर्भ संशोधन

1	2	3
1. 91-93	ए. 152.1 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि (ए एच) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "(ए आई) सोडियम नाइट्रेट (5 प्रतिशत)"।

1	2	3	4
2. 93	ए. 151. 2 कालम-4	(ए) पर की वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाए :— “(ए) सी आर सी ए चहरे/सीसी लम्बाई अथवा कायल में रिट्प/डीप ड्राइंग बवालिट्टी वाली नर्म इस्पात चहरे/रिट्प” ।	
3. 93-94	ए. 152. 2 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि (बी) के बाद निम्नलिखित की जोड़ा जाए :— “(डब्लू) सोडियम नाइट्रेट (5 प्रतिशत)” ।	
4. 185	के. 2 कालम-2	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नप्रकार से संशोधित कर पढ़ा जाय :— “कृऊल कशीदाकारी—(रूती कपड़ों/पटरुम तल पर हस्त ऊनी कशीदाकारी)” ।	
5. 185	के. 2 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नप्रकार से संशोधित कर पढ़ा जाए :— “(ए) कच्ची ऊन/रही ऊन, ऊर्णाविशेष/ऊनी धियडे (10 प्रतिशत)” । “(बी) कोलतार रंग (जैरंगि, डगल रंग, रपस्ट रंग, स्थापक रंग, विशेपी रंग तथा अभिक्रिया-शील रंग, समय समय पर संशोधित रैड बुक के बालुम-1 के पर्निशरट-24 के अनुसार स्वीकृत मर्दे) और विशेष इगिटकल वाइटेनिम कारक जो पोलिरटर तथा पोलिग्राफि-जेनि-ट्राइ फाइबर के लिए प्रयोग किए जाते हैं (5 प्रतिशत)” ।	
6. 203	पी. 1. 3 कालम-4	प्रविष्टि (बी) में पंक्ति 3 और 5 पर दिखाए गए आंकड़े “40 प्रतिशत” को संशोधित कर “60 प्रतिशत” के रूप में पढ़ा जाए ।	
7. 204	पी. 1. 4 कालम-5	टिप्पणी (2) की पंक्ति 4 में दिखाए गए आंकड़े “50 प्रतिशत” को संशोधित कर “60 प्रतिशत” के रूप में पढ़ा जाए ।	
8. 204	पी. 1. 5 कालम-4	प्रविष्टि (ए) में पंक्ति 6 पर दिखाए गए “50 प्रतिशत” के आंकड़े तथा शरट और पंक्ति 3 में दिखाए गए आंकड़े “50 प्रतिशत” को हटा दिया जाए ।	

	1	2	3
9.	205	मी. 1. 6 कालम-3	आंकड़े "5 प्रतिशत" को संशोधित कर "10 प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाए ।
10.	205	पी. 1. 7 कालम-4	प्रविष्टि (ए) में पंक्ति 3 और 6 पर दिखाए गए आंकड़े "75 प्रतिशत" को संशोधित कर "80 प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाए ।
11.	206	पी. 1. 8 कालम-3	वर्तमान आंकड़े "9 प्रतिशत" को संशोधित कर "10 प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाए ।
12.	206	पी. 1. 8 कालम-4	प्रविष्टि (ए) में पंक्ति 3 और 6 पर दिखाए गए आंकड़े "(75 प्रतिशत)" तथा शब्द और प्रक्षर "75 प्रतिशत" को हटा दिए जाएं । विशेष ध्यान दें:— उपर्युक्त क्रम संख्याएँ 6 से 12 तक में उल्लिखित संशोधन 1 अक्टूबर, 1970 से किए गए नियति के लिए लागू होंगे ।
13.	218	डब्लू. 1 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नप्रकार से संशोधित कर पढ़ा जाए :— "रंगो तथा रसायनों की स्वीकृत मदें । (टिप्पणियां देखें) ।
14.	218	डब्लू. 1 कालम-5	निम्नलिखित टिप्पणियों को जोड़ा जाए :— "सोडा के हाइड्रोसल्फाइड तथा इसके प्रारूप के आयात के लिए अनुमति, लाइसेंस के अतिरिक्त मूल्य के 25 प्रतिशत तक के लिए, दी जाए ।"
15.	219-220	एक्स. 1. 4 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि (11) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "(12) सोडा के हाइड्रोसल्फाइड तथा इसके प्रारूप (25 प्रतिशत)" ।

3. उपर्युक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित संशोधन के परिणामस्वरूप, प्रविष्टि "कूचल कशीदाकारी (सूती कपड़ों पर ऊनी हस्त कशीदाकारी)" जो उपर्युक्त रैंड बुक के सूचक के पृष्ठ 95 पर दिखाई गई है उसे संशोधित कर "कूचल कशीदाकारी (सूती वस्त्रों/पटसन तले पर हस्त ऊनी कशीदाकारी)" के रूप में पढ़ा जाए ।

4. “ए अभियन्त्रिक माल” तथा “ब रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के अन्तर्गत मर्चे “रिकमंडेड बजाने वाले उपकरण” तथा जलसह बिट्मन बोर्ड वर्गीकरणीय है तथा क्रम संख्याएं “ए-91.2” तथा “बी-66.2” क्रमशः के अन्तर्गत आती है। इन्हें उक्त उत्पाद वर्गों के अन्तर्गत सूचक में उपयुक्त स्थलों पर वर्गमाला अनुसार जोड़ा जाए।

SUBJECT : Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970-March, 1971 (Amendment No. 49).

No- 183-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April 1970-March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC (PN)/70, dated 31-3-1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :

Page No. of the Red Book (Vol.II)	Reference	Amendments
1	2	3
1 94	A. 152.3 Col. 3	The existing percentage may be substituted by the following :— “30% (thirty percent)”
<i>N.B. :</i> This amendment would be effective in respect of exports made on or after 1-9-1970.		
2 121	B. 41.5 Col. 4	The existing entry (n) may be corrected to read as under :— “(n) Zinc.”
3 181	H. 6.4 Col. 2	After the existing entry (vi) the following may be inserted :— “(vii) Made up articles of precious/semiprecious Stones like Ash Trays, Pen Holder, Paper Cutter, Key Chains Paper weights, etc.”
4 181	H. 6.4 Col. 5	The following may be inserted :— “1. Against export of items mentioned at S. No. (vii) under column 2, import of the following may be allowed :— (a) Metal fittings (b) Glass Chattons.”
5 190	M. 1.1 Col. 4	The following may be added in (a) after the existing entry Direct Violet RL:—
	<i>Hue No.</i>	<i>C.L. Number</i>
	Acid Violet 9	45190
	Acid Violet 17	42650
	Acid Violet 41	62020

1	2	3
	Acid Violet 43	60730
	Acid Blue 5	42052
	Acid Blue 15	42655
	Acid Blue 59	50315
	Direct Violet 5	27660
	Direct Black 4	30245
	Direct Black 17	27700
	Direct Black 80	31600

3. Consequent to the third amendment referred to above, the entry "Made up articles of precious/Semi-precious Stones like Ash Trays, Pen Holder, paper Cutter, Key Chains, Paper weights, etc. H.6.4" may be inserted alphabetically at the appropriate place in the index of the above Red Book under the product group "H.HANDICRAFTS".

4. The entry "Brass Counter seals" appearing on page xi of the index of the above Red Book may be amended to read as "Brass Pan Counter scales".

5. The entry "Lamp Brackets . . . A.25" appearing on page xxxvi of the index may be deleted.

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports & Exports.

बिषय : अप्रैल 1970 से मार्च, 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 49)

सं० 183-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70:-अप्रैल 1970-मार्च 1971 वर्ष के लिए आयात-व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक का वालुम-2 जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 148-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31-3-1970 के अन्तर्गत जारी किया गया था, उसमें पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार उपयुक्त स्थलों में किए जायें :—

रेड बुक वालुम-2 की
पृष्ठ सं०

संदर्भ

संशोधन

1	2	3
1. 94	ए. 152.3	वर्तमान प्रतिशत को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय :—
	कालम-3	"30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत)"

विशेष ध्यान दीजिए :—यह संशोधन 1-9-1970 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात के लिए लागू होगा।

1	2	3
2. 121	बी. 41. 5 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि (एन) को संशोधन कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए :— “(एन) जिक ”
3. 181	बी. 6. 4 कालम-2	वर्तमान प्रविष्टि (6) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— “(7) बहुमूल्य रत्नों मध्यम बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई वस्तुएँ जैसे राखदानियाँ, पैन होल्डर, पेपर कटर, चाबियों की जंजीरें, पेपर बेट इत्यादि ।”
4. 181	एच. 6. 4 कालम-5	निम्नलिखित जोड़ा जाए :— “1. कालम-2 के अन्तर्गत क्रम संख्या (7) पर निहित निर्यात की मदों के विपरीत निम्नलिखित के आयात की स्वीकृति दी जाए :— (ए) मेटल फिटिंग ।” (बी) ग्लास चेटन ।”
5. 190	एम० 1. 1 कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि स्पट बैंगनी आर एल के बाद (ए) में निम्नलिखित को शामिल किया जाए :—
	रंग संख्या	सी आई संख्या
	अम्ल बैंगनी 9	45190
	अम्ल बैंगनी 17	42650
	अम्ल बैंगनी 41	62020
	अम्ल बैंगनी 43	60730
	अम्ल नीला 5	42052
	अम्ल नीला 15	42655
	अम्ल नीला 59	50315
	स्पट बैंगनी 5	27660
	स्पट काला 4	30245
	स्पट काला 17	27700
	स्पट काला 80	31600

3. उपर्युक्त तीसरे संशोधन के परिणामस्वरूप प्रविष्टि “बहुमूल्य रत्नों/मध्यम बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई वस्तुएँ जैसे कि राजधानियाँ, पैन-होल्टर, पेपर कटर, चाबियों की जंजीरें, पेपर बेट इत्यादि एच० 6. 4” को “एच हस्तशिल्प” उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उक्त रैड बुक के सूचक में उपर्युक्त स्थलों में वर्ण क्रमानुसार जोड़ा जाए।

4. उपर्युक्त रैड बुक के सूचक के पृष्ठ 11 पर दिखाई गई प्रविष्टि “ब्रास काउंटर स्केलज” को संशोधित कर ब्रास पैन काउंटर स्केलज के रूप में पढ़ा जाए।

5. सूचक के पृष्ठ 36 पर दिखाई गई प्रविष्टि “लेम्प बैकिट—ए. 25” को हटाया जाय।

प्रार० जे० रबैसी,
मुख्य नियंत्रक, आयात निबन्धित।

60

100

100

100